सविनय अवज्ञा आन्दोलन में किसानों की भूमिका : एक अध्ययन

डॉ. नेहा कुमारी*

स्वामी सहजानन्द सरस्वती असहयोग आन्दोलन में जेलयात्रा से लौट कर आने के बाद अपने भूमिहार ब्राह्मण महासभा के सहयोगियों के अनुरोध पर पटना जिले में बिहटा आये और वहीं ''श्री सरताराम आश्रम'' की स्थापना की। यहीं स्वामीजी का किसानों की दयनीय अवस्था का निकट से साक्षात्कार हुआ और उन्होंने आस–पास के किसानों के बीच घूम–घूम कर उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इसी सिलसिले में उन्हें जमींदारों की जालिमाना हरकतों की कहानियों के साथ यह भी सुनने को मिला कि मसौढ़ी परगने के एक जमींदार ने किसानों की लड़कियॉ और गहने बिकवा कर लगान वसूल किया था। स्वामीजी पर इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई और 1927 के अंत तक वे उस क्षेत्र में किसानों का आन्दोलन संगठित करने लगे थे। चार मार्च, 1928 में एक पैसा सदस्यता के आधार पर नियम कायदे के साथ बाकायदा ''पश्चिम पटना किसान सभा'' का संगठन बनाया। घूम–घूम कर गाँवों में किसानों के हित में स्वामीजी व्याख्यान देने लगे। सामंतों और जमींदारों की मनोवृत्ति को भीतर से देखकर स्वामीजी की ऑखें खुलने लगी।.... सदियों की सत्यानाशी भावली, मनमानी दानाबंदी, कई नकदी, सैकड़ों गैर–कानूनी अत्याचार, नजर–तहरीर, बैठ–बेगारी, दण्ड–जुर्माना, जमींदारों द्वारा जमीन से बेदखली आदि मनमानी लूट ने किसानों की कमर तोड़ डाली थी। इन विवशताओं के चलते किसानों को विविध अमानुषिक अत्याचार तक सहना पड़ता था।[1]

सन् 1929 में बिहार सरकार, काश्तकारी कानून में एक संशोधन का बिल पेश करने वाली थी। जमींदारों का समर्थन इसे प्राप्त था और वे इसे शीघ्र पास कराना चाहते थे। यह बिल किसानों के हित पर जबर्दस्त कुठाराघात करने वाला था। यह सोच कर बड़े–बड़े कांग्रेसी नेता भी किंकर्तव्यविमूढ़ थे और इसके प्रतिकार के लिए चिन्तित थे। इसी उद्देश्य से कांग्रेस के स्वराज्य पार्टी के एक प्रमुख नेता श्री रामदयालु सिंह ने स्वामीजी से मुलाकात की और कहा कि स्वराज्य पार्टी अल्पमत में है। सरकार काश्तकारी कानून में संशोधन का नया बिल ला रही है अतः उसका संगठित विरोध करने के लिए कौंसिल के बाहर भी प्रयास आवश्यक था अतः श्री सिंह स्वामीजी से प्रान्तीय स्तर पर किसान सभा के संगठन के लिए आग्रह किया। स्वामीजी ने परिस्थिति की गम्भीरता को देखते हुए पेशकदमी ली। 17 नवम्बर, 1929 को सोनपुर मेले में बिहार प्रान्तीय किसान सम्मेलन स्वामीजी की अध्यक्षता में हुआ। इसी सम्मेलन में बिहार प्रान्तीय किसान सभा की बाजाप्ता स्थापना की गयी। स्वामी सहजानन्द सरस्वती अध्यक्ष, श्रीकृष्ण सिंह सचिव, यमुना कार्यी, गुरुसहाय लाल और कैलाश बिहारी लाल क्षेत्रीय सचिव निर्वाचित हुए। कार्यकारिणी में राजेन्द्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामदयालु सिंह आदि कांग्रेस नेता मनोनीत हुए। ब्रजकिशोर प्रसाद को छोड़कर कांग्रेस के प्रायः सभी प्रमुख नेता किसान सभा के साथ 1934 तक अपने को सम्बद्ध मानते थे। स्वामीजी ने घूम–घूमकर संशोधित काश्तकारी कानून का जमकर भण्डाफोड़ किया। जनवरी 1930 में किसान सभा की एक विशेष बैठक में इस संशोधन का विरोध किया। अन्ततः सरकार ने प्रबल विरोध की सम्भावना को देखते हुए यह बिल वापस ले लिया। इस प्रकार बिहार प्रान्तीय किसान सभा को प्रारम्भ में ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। सभा की स्थापना का तत्कालीन उद्देश्य पूरा हुआ।

बिहार प्रांतीय किसान सभा के संगठनकर्ताओं का प्रारम्भिक उद्देश्य किसान आन्दोलन को इस रूप में संचालित करना था जिससे जमींदार और काश्तकार में संघर्ष नहीं बढ़े तथा कांग्रेस को लेजिस्लेटिव कौंसिल का चुनाव जीतने में मदद मिले। स्वतंत्र स्वामीजी भी जिस समय बिहटा के आस–पास किसानों के बीच घूम रहे थे उस समय तक वह पक्के कांग्रेसी थे। अब तक वह जमींदारों और किसानों के परस्पर विरोधी अधिकारों और हितों के सामंजस्य में विश्वास रखते थे। इस प्रकार मूलतः इसका (किसान सभा) उद्देश्य सुधारवादी था, जुझारू रूप इसका बाद में उभरा था।[2]

15 दिसम्बर, 1929 को प्रांतीय किसान कौंसिल ने किसान सभा का संविधान स्वीकृत किया। संविधान के अनुसार सभा का उद्देश्य किसानों की खामियों और शिकायतों को संगठित बल पर अहिंसात्मक तरीके से दूर करना था। संविधान में कार्यक्रम संबंधी समझदारी का अभाव था। जमींदारी प्रथा, लगान का सवाल, देहाती कर्ज की समस्या और भूमि बेदखली के संबंध में इसमें कोई चर्चा नहीं थी। 1934 में नया संविधान स्वीकृत होने और इस बीच के अनुभव के आधार पर ही नया कार्यक्रम और अधिकार पत्र तैयार किया गया था। किसान सभा को अपने जन्म–काल में बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता सरदार बल्लभ भाई पटेल के बिहार दौरे से भी काफी लाभ हुआ था। स्वामीजी भी पटेल के साथ थे। पटेल ने सभी सभाओं में बिहार के किसानों को सरकार और जमींदार के जुल्मों के खिलाफ खड़ा होने के लिए ललकारा था।[3]

***एम.ए., पीएच.डी., इतिहास, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर**

विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने देश के किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय बना दी थी। सरकारी टैक्स, जमींदार का लगान और महाजन का कर्ज, भारतीय किसानों की कमर पहले ही टेढ़ी कर रखा था। अब आर्थिक मंदी ने उसे मौत के कगार पर ला खड़ा किया था। किसानों के उबलते हुए असंतोष को वाणी देने के लिए बिहार में ''बिहार प्रांतीय किसान सभा'' की स्थापना हो चुकी थी। और स्वामी सहजानन्द सरस्वती और सरदार बल्लभ भाई पटेल के प्रांतव्यापी दौरे ने उनमें नया जोश भर दिया था। इसी पृष्ठभूमि में 9 दिसम्बर, 1929 को मुंगेर में 28वां बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ। यद्यपि इसकी अध्यक्षता राजेन्द्र प्रसाद करने वाले थे किन्तु उनकी अनुपस्थिति में रामदयालु सिंह ने उनका अध्यक्षीय भाषण पढ़कर सुनाया।

सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 31 अक्टूबर की वायसराय की घोषणा खोखली है। अतः सम्मेलन लाहौर में होने वाले कांग्रेस से सिफारिश करता है कि वह पहली जनवरी, 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करे और प्रांत की जनता से आनेवाले सविनय अवज्ञा आन्दोलन के लिए तैयार रहने का आग्रह किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सम्मेलन में मौजूद थे। उन्होंने बारदोली किसान सत्याग्रह का उदाहरण देते हुए बिहार के किसानों का आह्वान किया था कि वे जमींदार से, सरकार से, जेल जाने से और मौत से डरना छोड़ दें। जमींदारों को नहीं में जवाब देने की हिम्मत पैदा करें। गया में बहुत से किसान सरदार पटेल से मिले और उन्होंने लगान की दानाबंदी प्रथा (पेमेन्ट ऑफ रेवेन्यू इन काइण्ड) के खिलाफ शिकायतें कीं। सरदार पटेल ने इन शिकायतों की जॉच के लिए एक कमिटी बहाल करने की सलाह दी और उसकी रिपोर्ट के बाद ही उस पर अपनी सलाह देने की बात कही। संभवतः बिहार कांग्रेस ने इसी सलाह पर अपनी ''कृषि संबंधी जॉच समिति'' कायम की थी। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिहार दौरे का यहॉ के किसानों पर कितना प्रभाव पड़ा इसकी चर्चा गाँधीजी के निजी सचिव महादेव देसाई ने भी की है। श्री देसाई ने लिखा है– ''सरदार ने बिहार के किसानों का ह्रदय इस प्रकार जीत लिया था कि मुझे बिल्कुल ही आश्चर्य नहीं होगा कि संगठित होते समय अथवा अत्याचारों का विरोध करते समय ये किसान भविष्य में भी उन्हें अपने बीच में बुलाऍ।4

29 से 31 दिसम्बर, 1929 को लाहौर में रावी के तट पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया और 26 जनवरी, 1930 को सारे देश में इस देशव्यापी राष्ट्रीय जागरण में बड़ी संख्या में खिंच कर आये। नमक सत्याग्रह में तो उन्होंने बढ़कर हिस्सा लिया ही बिहार में चौकीदारी टैक्स–बंदी आन्दोलन की तैयारी भी शुरू से ही प्रारम्भ हो गयी थी। प्रथम असहयोग आन्दोलन की विफलता

के बाद सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन का दूसरा उत्ताल–तरंग 1930 में दिखलायी पड़ रहा था। लाहौर कांग्रेस के प्रस्ताव ने वातावरण को और भी उद्वेलित कर दिया था। देश का सभी तबका आन्दोलन में कूद पड़ने के लिए तैयार था। भारतीय जनता के विभिन्न तबकों के असंतोष को व्यक्त करते हुए महात्मा गॉधी ने 2 मार्च, 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन को जो पत्र दिया था उसमें किसानों की स्थिति की भी चर्चा थी। गॉधीजी ने अपने पत्र में लिखा था कि जमीन पर लगान का भयंकर बोझ स्वतंत्र भारत में घटाना पड़ेगा। बहुचर्चित चिरस्थायी प्रबन्ध भी केवल मुट्ठी भर जमींदारों को लाभ पहुॅचाता है, रैयतों को नहीं। रैयत हमेशा की तरह असहाय हैं। वह जमींदार की इच्छा पर रहनेवाले काश्तकार हैं। इसलिए न केवल जमीन का लगान काफी घटाना होगा बल्कि पूरी लगान व्यवस्था उसके जीवन को ही समाप्त करनेवाली है। यहॉ तक कि वह अपने जीवन के लिए जो नमक व्यवहार में लाता है उस पर इस प्रकार टैक्स लगा है जिसका सर्वाधिक बोझ उसी पर पड़ता है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक 15 फरवरी, 1930 को अहमदाबाद में हुई और उसने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन करने का फैसला किया और उसका नेतृत्व करने की जिम्मेवारी गाँधीजी को सौंपी गयी। गाँधीजी ने नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह करने का निश्चय किया। राजेन्द्र प्रसाद ने गाँधीजी से आग्रह किया कि बिहार समुद्र के किनारे से काफी दूर है और और यहाँ थोड़ा बहुत खाड़ी से नमक बनाने का काम किया जाता है अतः नमक सत्याग्रह बिहार में लोगों को उत्साहित करने के लिए काफी नहीं होगा। अतएव बिहार में चौकीदारी टैक्स बंद करने के आन्दोलन के लिए छूट होनी चाहिए। राजेन्द्र प्रसाद का ख्याल था कि इससे सरकार से सीधी टक्कर होगी और सम्भव है कि किसान उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनकी सलाह थी कि कम से कम सत्याग्रह का प्रारम्भ इससे नहीं किया जाए।

गाँधीजी ने 12 मार्च, 1930 को नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारम्भ किया और इसी के साथ देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन जोश–खरोश के साथ प्रारम्भ हुआ। इस आन्दोलन में जनता के प्रायः सभी तबके ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया था अपनी ही समस्याओं से असंतुष्ट किसान भी। 1930 की पाक्षिक रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की है कि आरा और बक्सर अनुमण्डल में चौकीदारी कर बंद करने का प्रयास होगा और चौकीदारी पंचों की इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जायेगा। यही स्थिति पटना जिले के विक्रम थाने की भी है। रॉची जिले में तानाभगत किसानों ने भी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया था। नमक सत्याग्रह के साथ–साथ नशबंदी कार्यक्रम में

भी किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। गॉवों की ग्राम–सभाओं और जातीय पंचायतों ने राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रभावित होकर नशाखोरी पर अपनी ओर से प्रतिबंध लगाने पर व्यापक पैमाने पर पेशकदमी ली थी।[5]

किन्तु, बिहार में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में किसानों का व्यापक योगदान चौकीदारी टैक्सबंदी में हुआ। बड़े पैमाने पर चौकीदारों, दफादारों और चौकीदारी वसूल करनेवाले सरपंचों ने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने से पहले, 22 फरवरी और 23 मार्च 1930 के दरम्यान उत्तरी बिहार में 42, भागलपुर में 13, पटना में 7, छोटानागपुर उपमंडल में 5 सभाएं हुईं जिनमें चौकीदारी कर का भुगतान न करने की खुलकर वकालत की गई। संगठन के तौर पर उतनी तैयारी हो चुकी थी यह सुझाव दिया जा चुका था कि अवज्ञा आंदोलन की शुरूआत चौकीदारी कर के विरूद्ध आंदोलन चलाकर की जाएगी, न कि नमक सत्याग्रह छेड़कर। फिर भी चौकीदारी कर के विरूद्ध आंदोलन न चलाने की कांग्रेस की मंशा साफ नजर आ रही थी। मार्च महीने में दिधवारा में एक बैठक के दौरान राजेन्द्र प्रसाद ने चौकीदारी कर के विरूद्ध आंदोलन छेड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के संभावित खतरों से आगाह किया था। लेकिन पिकेट लगाने के अभियान के नतीजों तक उसको मुल्तवी रखने का फैसला जाहिरी तौर पर मई में लिया गया। स्पष्ट है, कांग्रेस ऐसा कोई आंदोलन नहीं छेड़ना चाहती थी जिसका नियंत्रण आगे चलकर उसके हाथ से निकल जाए। बाद में चलकर राजेन्द्र प्रसाद के हस्ताक्षर से एक सरकुलर निकाला गया जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि इस आंदोलन को यथासंभव व्यापक बनाना चाहिए। लेकिन यह ध्यान में रहे कि जहॉ लोग 'तैयार' हों वही इसका क्रियान्वयन हो। स्वयंसेवक इतने 'सशक्त' हों कि 'गांवों पर नियंत्रण' बरकरार रख सकें। यह बात जानकारी में आ चुकी थी कि दरभंगा कांग्रेस के नेता धरनीधर सिंह चौकीदारी कर के विरूद्ध आंदोलन छेड़ते के मामले को लंबित रख सकने में कामयाब रहे। और जब उन्हें जेल भेज दिया गया तब कांग्रेस ने जनता का ध्यान दूसरे आंदोलन की तरफ मोड़ दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अगस्त और दिसम्बर के बीच आंदोलन के लिए केवल 'जमीन तैयार किए जाने' की खबरें आती रहीं। फिर भी अगस्त के आस–पास रौसेरा और वारिस नगर में चौकीदार कर वसूल करना सरकार के लिए मुश्किल काम हो गया। और इसके एक महीने के बाद सिंधिया थाना में कर वसूली के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी।[6]

प्रांत में चौकीदार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। क्योंकि उस प्रांत में पुलिस बल पर खर्च दूसरे प्रांतों की तुलना में बहुत ज्यादा था। कर संग्रह के लिए

जिम्मेदार चौकीदारी–पंचायत के सदस्य चौकीदारों को निजी पुलिस कर्मियों की तरह इस्तेमाल करते थे और गरीब लोगों को परेशान करते रहते थे। इस कर का भार 'मजदूर वर्ग' पर ही सबसे ज्यादा था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि चौकीदारी कर के विरूद्ध आंदोलन को जनता का व्यापक समर्थन मिला। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि कर संग्रह करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा में तैनात पुलिस को जनता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। और कर भुगतान न करने वाले (डिफाल्टरों) की एक लंबी सूची से भी उसकी पुष्टि होती है, जिसे बि.प्रां.कां.स. ने तैयार किया था।

जनवरी 1930 में पूर्णिया में ठाकुरगंज के संथालों ने चौकीदारी कर का भुगतान करने से मना कर दिया। ऐसा उन्होंने दिनाजपुर के कसिस्वर भट्टाचार्य के कहने पर किया था। दो महीने के बाद दानापुर के विक्रम थानांतर्गत तीन और गांवों में आंदोलन शुरू हो गया। मई में हजारीबाग में कर भुगतान न करने की घटनाओं और मनभूम में इसके प्रचार को देखकर कांग्रेस चिंतित हो गई। छोटानागपुर का कमिश्नर भी इस बात को भांप गया कि अगर आंदोलन शुरू हो गया तो इससे निपटना मुश्किल हो जाएगा।[7] इसलिए उसने आंदोलन शुरू होने से पहले ही एक अध्यादेश जारी करने की मांग की। यह अध्यादेश हजारीबाग और मनभूम के लिए लागू होना था, रांची, सिंहभूम और पलामू के लिए नहीं। रांची के डिप्टी कमिश्नर को यह अंदेशा था कि कर भुगतान न करने की घटनाएं उसके जिले में जंगल की आग की तरह फैल जाएंगी। उसका यह अंदेशा सही निकला।

हजारीबाग में चौकीदारी कर अदा न करने का प्रचार एक साल पहले से हो रहा था। अप्रैल 1930 में राजेन्द्र प्रसाद के हस्ताक्षर वाले एक पर्चे को वितरित किया गया। इसमें बारडोली सत्याग्रह का उल्लेख किया गया था और लोगों से आग्रह किया गया था कि वे चौकीदारी कर के विरूद्ध अपने को संगठित करें। चौकीदारी कर को 'हर तीसरे साल मनमाने तरीके से बढ़ा दिया जाता था।' के. बी.सहाय ने अगस्त 1929 में धारवाड़ और गिरीडीह में अपने भाषणों में इन मुद्दों पर चर्चा की थी। हजारीबाग के पास इचक बाढ़ी और इतखोरी में रहने वाले सुकियार लोग इस आंदोलन के प्रति अपनी सहानुभूति रखते थे। इन लोगों में से 300 लोग कांग्रेस के स्वयंसेवक थे। सुकियार लोगों ने 1930 में चौकीदार कर अदा करने से मना कर दिया था। सुकियारों का मुखिया भीकलाल था। कर भुगतान न करने के संदेश को प्रचारित करने के लिए ईचक के गांवों में वह पहले भी जा चुका था। सुकियारों को अगर छोड़ दें तो हजारीबाग में यह आंदोलन संथालों तक सीमित था।

उधर मनभूम और हजारीबाग में जब तक आंदोलन चलता रहा, बि.प्रां.कां.स. ने इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। और न ही चौकीदारी कर के विरूद्ध चल रहे आंदोलन के साथ किसी तरह के सहयोग के प्रयास ही किए गए। जुलाई में बि.प्रां.कां.स. ने यह सूचना दी कि आंदोलन 'अपने पूरे शबाव' पर है और उत्तरी बिहार में इसके सफल होने की पूरी उम्मीद है। ऐसे हालात में श्री ब्रज किशोर प्रसाद ने वल्लभ भाई पटेल को लिखा :

''हम चौकीदार कर के विरूद्ध आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। हमें इस आंदोलन के लिए काम करने का कोई अनुभव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें सुझाव देकर हमारी मदद करेंगे.... ।''[8]

अगस्त में बि.प्रां.कां.स. ने यह उम्मीद जताई कि धान की बुआई (रोपाई) के समाप्त हो जाने के बाद आंदोलन में तेजी आएगी। और तब तक आंदोलन का ध्यान छोटानागपुर से हटकर उत्तरी बिहार, मुंगेर और भागलपुर की तरफ चला गया।[9]

आमतौर पर चौकीदारी कर का भुगतान करने में लोगों की अरूचि की वजह थी जूट और तंबाकू की कीमतों में आई कमी। चूंकि कर का निर्धारण करने वाले पंच 'लगभग सभी पैसे वाले लोग' थे, इसलिए 'बदनामी से बचने के लिए' उन्होंने अपनी ही जेब से करों का भुगतान कर दिया। इसकी वजह से कर भुगतान के ठीक–ठीक मामले कितने हुए इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भागलपुर जिले में, दूसरे गांवों की तरह गौरीपुर के तहसीलदार ने भी चौकीदारी कर का भुगतान अपने पास से कर दिया था।[10]

निष्कर्ष

गांवों में अपना आधार घटता देख कांग्रेस अपनी साख वापस पाने के लिए एक तरफ जमींदारों को यह आश्वासन दे रही थी कि वह उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचने देगी और दूसरी तरह रैयतों से कह रही थी कि वे अच्छे हाथों (कांग्रेस) में हैं। 1936 में पी.सी.के.ई.सी के पास जमींदारी प्रथा समाप्त करने तथा लगान और जंगल पर अधिकार संबंधी समस्याओं का हल निकालने के लिए लगातार प्रतिवदेन आते रहे। लगान भुगतान न करने के भी कई मामले सामने आए। क्योंकि लोगों को यकीन था कि कांग्रेस मामले का निपटारा अवश्य करेगी।

महत्वपूर्ण बात यह है कि सहजानंद सरस्वती ने यह समझ कायम कर ली थी कि लगान विरोधी अभियान को सरकार निश्चित रूप से दबा देगी। इसके बाद कांग्रेस अकेले (किसान सभा को साथ लिए बिना) लगान भुगतान न करने का आंदोलन शुरू करेगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकार भले ही यह मानती

थी कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ–साथ लगान विरोधी आंदोलन नहीं छोड़ेगी, फिर भी कभी–कभी ऐसा हो जाने की संभावना से वह चिंतित हो उठती थी। इसलिए सरकार ने युनाईटेड पार्टी का पूरा समर्थन दिया। अपनी तरफ से जमींदार भी कांग्रेस को चंदा देकर या उसके आंदोलनों का समर्थन करके उसे खुश रखने की कोशिशें करते रहते थे।

सन्दर्भ सूची :

1. राकेश गुप्ता, बिहार पीजेन्टरी एण्ड दी किसान सभा, पिपुल्स पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1982, पृ. 78.
2. उपरोक्त, पृ. 81.
3. के.के. दत्ता, फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, पटना, 1957, भाग–2.
4. विश्वेश्वर प्रसाद, चेंजिंग मोड्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, दिल्ली, 1966, पृ. 24–26.
5. उपरोक्त, पृ. 39–40.
6. उपरोक्त.
7. बी.वी. मिश्र, द इंडियन मिडिल क्लासेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली,1978, पृ. 348–50.
8. इन्द्रदीप सिन्हा, 40 ग्लोरियस इयर्स ऑफ ऑल इण्डिया किसान सभा, न्यू एज (दिल्ली), वॉल्यूम 26 एवं 35, 29 अगस्त, 1976.
9. किसान सभा, गृह विशेष, फाइल नं. 6 (ए) 1936 बिहार और उड़ीसा सरकार.
10. राकेश गुप्ता, पूर्वोक्त, पृ. 81.